0910090

पत्र संख्या वैट/विधि–4(1)नियम–अधिनियम भाग–7(09–10)/1895/ /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक :: फरवरी 16 2010

समस्त एडीनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के पत्र सं0–वैट/विधि–4 (1) विज्ञप्ति भाग–2(09–10)/1840 /वाणिज्य कर, दिनांक 05.02.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अंतर्गत की गयी संशोधन की विज्ञप्ति सं0–क0नि0–2–241/ग्यारह–9(295)/07–उ0प्र0अधि0–5–208–यू0 पी0वैटनियमावली–08–आदेश–(55)–2010, दि0 04.02.2010 जारी की गयी है।

उक्त विज्ञप्ति द्वारा मूल्य संवर्धित कर नियमावली में किये गये संशोधन के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार है :–

(क) नियम 4 में उपनियम (12) जोड़ते हुए फार्मो के प्रारुप में संशोधन एवं इनके दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से कमिश्नर को दिया गया।

(ख) अधिनियम में संशोधन के द्वारा "कैजुअल डीलर" के सम्बन्ध में हुए प्राविधान, "डीलर" की परिभाषा से ट्रांसपोर्टर, कैरियर एवं फारवर्डिंग एजेन्ट को हटाये जाने तथा प्रदेश के बाहर से प्रदेश में होते हुए दूसरे प्रदेश को जाने वाले माल के सम्बन्ध में नई व्यवस्था के दृष्टिगत कर निर्धारक अधिकारी की अधिकारिता सम्बन्धी नियम 6 के उपनियम (2), (3), (4), (7) एवं (11) में तदनुरुप संशोधन किया गया है ।

(ग) अधिनियम में निहित प्राविधान के अनुसार केवल ऐसे कैश या ट्रेड डिस्काउन्ट का विकयमूल्य से घटाया जाना अनुमन्य है जो इनवाइस से सुव्यक्त हो। ऐसे व्यापारी जो विकय से संव्यवहार पर कर वसूलने के हकदार नहीं है अथवा हकदार होते हुए इनवाईस में कर अलग से नहीं वसूला है, उनके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में कर की गणना का सूत्र दिया गया है। करयोग्य टर्नओवर के निर्धारण संबंधी नियम 8 के खण्ड (i) एवं खण्ड (ix) में तद्नुरुप संशोधन किया गया है ।

(घ) संविदा के निष्पादन में किसी टर्नओवर पर संविदाकार एवं उप संविदाकार में से एक पर ही कर भार रहे यानि दोहरी कर देयता न हो तथा भवन निर्माण संविदा में भवन निर्माण के लिए आवश्यक जमीन की कीमत पर कर का भार न पड़े इस दृष्टि से नियम 9 में संशोधन किया गया है ।

(ड.) माल के अन्तर्प्रान्तीय स्टाक ट्रांसफर में इनपुट टैक्स की आंशिक धनराशि का केडिट अनुमन्य किये जाने के लिए अधिनियम की धारा 13(1)(a) की सारणी के कमांक–3 के प्राविधान के अनुरुप नियम 21 एवं नियम 22 में संशोधन किया गया है । इनपुट टैक्स केडिट की व्यवस्था के अनुरुप नियम 22 के उपनियम (3) में सेल इनवाईस के स्थान पर टैक्स इनवाईस या पर्चेज इनवाईस रखा गया है ।

(च) नियम 24 के खण्ड (क) में निर्माताओं को कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दिये जाने की व्यवस्था है। जहॉ किसी निर्मित माल का निस्तारण भिन्न–भिन्न तरीके से होता है प्रो रेटा बेसिस पर गणना करते हुए अनुपातिक रुप से इनपुट टैक्स क्रेडिट की वार्षिक किश्त अनुमन्य होगी । कैप्टिव पावर प्लान्ट से उत्पादित विद्युत का अनुमन्य वस्तुओं के निर्माण में उपभोग 90 प्रतिशत से कम होने पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की समानुपातिक धनराशि की वार्षिक किश्त अनुमन्य होगी। तद्नुसार नियम 24 में संशोधन किया गया है ।

(छ) व्यापारी द्वारा की गई खरीद के सम्बन्ध में इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना के उद्देदश्य से व्यापारी द्वारा एक रजिस्टर रखने का प्राविधान है। यह निर्धारित किया गया है कि इस रजिस्टर का प्रारुप फार्म 50 में होगा। नियम 28 के उपनियम (1) में तद्नुसार संशोधन किया गया है ।

(ज) नियम 30 के उपनियम (2) में व्यवस्थ है कि व्यापारी के अधिनियम के अन्तर्गत कर दायी होने की तिथि के उपरान्त अपंजीकृत रहने की अवधि में की गयी खरीदों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, विक्रेता द्वारा धारा 22 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अनुरुप जारी सेल इनवाईस पर दिया जायेगा । वर्तमान में धारा 22 की उपधारा (3) में कोई खण्ड नहीं है। अतः नियम 30 के उपनियम (2) में "धारा 22 की उपधारा (3) के खण्ड (ख)" के स्थान पर "धारा 22 की उपधारा (3)" किया गया है।

(झ) रजिस्ट्रेशन प्रार्थना–पत्र के साथ पहचान प्रमाण के रुप में नियम 32 के उपनियम (2) में उल्लिखित प्रमाणों में से कोई दो की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। वर्तमान में कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0प्र0 के निर्देश से केवल एक पहचान के प्रमाण की प्रमाणित प्रति दाखिल किये जाने की आवश्यकता है। नियम में तद्नुसार व्यवस्था हेतु संशोधन किया गया है। पूर्ववती अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एंवं वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दायी व्यापारी द्वारा अधिनियम लागू होने के 60 दिन के भीतर पंजीयन प्रमाण–पत्र के वैधीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र देने की व्यवस्था नियम में है। अधिनियम की धारा 17 के वर्तमान प्राविधान के अनुसार पूर्ववती अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एवं वैट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन के लिए दायी व्यापारी द्वारा वैट व्यवस्था लागू होने से 15 माह के भीतर पंजीयन प्रमाण–पत्र के वैधीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र न देने पर पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रभावी नहीं रह जायेगा। तद्नुसार उपनियम (3) एवं (14) में संशोधन किया गया है। उपनियम (7) में रजिस्ट्रेशन प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के लिए समय सारणी निर्धारित है। यह प्राविधान किया गया है कि जनहित में कमिश्नर इसकी री–शिड्यूलिंग कर सकते है ।

(ञ) अधिनियम में "कैजुअल डीलर" के सम्बन्ध में हुए प्राविधान के क्रम में कैजुअल डीलर्स के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 32 के पश्चात नियम 32–ए जोड़ दिया गया है।

(ट) नियम 33 के उपनियम (2) को स्पष्ट करने तथा व्यापार में परिवर्तन के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना–पत्र के निस्तारण की व्यवस्था निर्धारित करने के लिए उप नियम (3) जोड़ने हेतु नियम 33 में संशोधन किया गया है ।

(ठ) अधिनियम के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार 'सेल इनवाईस' के अन्तर्गत कैशमेमो एवं बिल भी सम्मिलित है। तद्नुसार नियम 34 के उपनियम (2) के खण्ड (बी) में संशोधन किया गया है ।

(ड) जमानत से संबंधित नियम 37 में यह शर्त है कि जमानत लेने वाला व्यापारी उत्तर प्रदेश व्यापार कर/मूल्य संवर्धित कर अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत डिफाल्टर न हो । इसमें उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम को भी सम्मिलित करने की दृष्टि से उपनियम (1) के खण्ड (ख) में संशोधन किया गया है ।

(ढ) अधिनियम में ट्रांसपोर्टर को डीलर की परिभाषा से हटाते हुए तत्सम्बन्धी प्राविधान में संशोधन किया गया है। तद्नुसार इनके रजिस्ट्रेशन संबंधी नियम 38 में संशोधन किया गया है। रजिस्ट्रेशन प्रार्थना–पत्र विलम्ब से देने पर विलम्ब के प्रत्येक माह व उसके अंश के लिये रू0 50.00 विलम्ब शुल्क निर्धारण की गयी है। रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र के निरस्तीकरण संबंधी प्राविधान इनके सम्बन्ध में भी लागू होगा।

(ण) अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (17) के प्राविधान के अनुसार ऐसे व्यापारी को स्पेसिफाइड अथार्टी से लेखों का आडिट कराना है जिनकी किसी कर निर्धारण वर्ष में "ग्रास टर्नओवर आफ पर्चेज आर सेल आर बोथ" एक करोड़ रुपये से अधिक हो। नियम 42 में स्पष्टीकरण जोड़कर स्पेसिफाइड अथार्टी से आडिट के उद्देश्य के लिए 'ग्रास टर्नओवर आफ पर्चेज आर सेल आर बोथ' को स्पष्ट किया गया है ।

(त) करापवंचन की रोकथाम के लिए नियम 44 के उपनियम (2) में यह संशोधन किया गया है कि रुपया पचास हजार से अधिक अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारिल ऐसी धनराशि के वैट गुड्स की सेल इनवाईस से अपंजीकृत को बिक्री करने पर विक्रेता क्रेता व्यक्ति से एकाउन्ट पेई चेक से भुगतान लेगा अथवा क्रेता व्यक्ति से कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित पहचान के प्रमाण की स्वयं सत्यापित प्रति प्राप्त करेगा, और अपने पास रखेगा। सिंगल यूनिट की उपुर्यक्त धनराशि की खरीद पर यह बाध्यता नहीं रहेगी ।

(थ) नियम 45 के उपनियम (1) एवं (2) में संशोधन द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि कमिश्नर द्वारा विनिर्दिष्ट संवेदनशील वस्तुओं का व्यापार करने वाले व अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत रिफण्ड की सुविधा के लिए पात्र व्यापारियों को छोड़ कर शेष रुपया एक करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के द्वारा तिमाही टैक्स रिटर्न दाखिल किया जायेगा। ऐसे व्यापारियों द्वारा कर मासिक रुप से ही जमा किया जायेगा। उपनियम (4) में वर्ष के स्थान पर 'कर निर्धारण वर्ष' रखा गया है । उपनियम (7) में 'रिटर्न फाइल्ड अंडर सब रुल (2)' के स्थान पर 'रिटर्न आफ टैक्स पीरियड फाईल्ड अण्डर सब–रुल (2) आर सब–रुल (10)' किया गया है। निर्धारित तिथि एवं कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनुमन्य की गयी अवधि के बाद एनुअल रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार एवं कमिश्नर को दिया गया है। उपनियम (8) एवं (9) में "असिस्टेंट कमिश्नर' के स्थान पर "एसेसिंग अथार्टी" रखा गया है। श्रोत पर कर की कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा कर निर्धारण वर्ष समाप्ति पर

30 जून तक वर्ष के विवरण दाखिल किये जाने तथा कर निर्धारक अधिकारी द्वारा 60 दिन तक अवधि बढ़ाने का प्राविधान है। "30 जून" के स्थान पर "31 अक्टूबर" तथा "60 दिन" के स्थान पर "90 दिन" किया गया है। उपनियम (10) में संशोधन से रु0 50 लाख तक वार्षिक विक्रयधन वाले तथा धारा 6 की उपधारा (1) के प्रथम उपबन्ध के अन्तर्गत समाधान योजना स्वीकार करने वाले व्यापारियों के लिए त्रैमासिक रुप से समाधान राशि जमा करने एवं केवल वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था की गयी है। वर्क्स कान्ट्रैक्ट का कार्य करने वाले व्यापारी या अन्य कार्य के साथ वर्क्स कान्ट्रैक्ट का कार्य करने वाले व्यापारी द्वारा यथावश्यक अन्य कार्य के रिटर्न के अलावा फार्म 24-सी में वर्क्स कांट्रैक्ट से संबंधित रिटर्न दाखिल किये जाने का प्राविधान किया गया है। कैजुअल डीलर द्वारा फार्म 24-डी में रिटर्न दाखिल करने की व्यवस्था उपनियम (10-ए) जोड़ कर की गयी है। उपनियम (12) में स्पष्ट किया गया है कि 'नेट टैक्स पेयेबुल' में समाधान राशि सम्मिलित है तथा ट्रेजरी चालान में फार्म 31 में जारी टी0डी0एस0 सर्टीफिकेट सम्मिलित है। उपनियम (12-ए) में संशोधन द्वारा ई-रिर्टन फाईलिंग की रुपया एक करोड़ की सीमा निर्धारित है। रुपया एक करोड़ के स्थान पर रुपया एक करोड़ या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी धनराशि किया गया है।

(द) नियम 46 में इस आशय का संशोधन किया गया है कि कर निर्धारण के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी व्यापारी को कर निर्धारण एवं मांग की नोटिस तामील करेगा। इसके साथ व्यापारी को कर निर्धारण आदेश की प्रति बिना शुल्क दी जायेगी ।

(ध) कान्ट्रैक्टर को समय से श्रोत पर कर की कटौती (टी0डी0एस0) का सर्टीफिकेट नहीं प्राप्त होने की समस्या के समाधान हेतु नियम 49 में प्राविधान किया गया है कि कान्ट्रैक्टी द्वारा कान्ट्रैक्टर को टी0डी0एस0 सर्टीफिकेट कटौती के माह के अनुवर्ती माह की 20 तारीख से पूर्व जारी किया जायेगा ।

(न) अधिनियम में चेकपोस्ट संबंधी प्राविधान समाप्त होने तथा चेकपोस्टों के हटाये जाने के दृष्टिगत नियम 54 के उपनियम (1) व (2) एवं उपनियम (3) के क्लाज (ए) (iii) को हटाते हुए उपनियम (3) के क्लाज (बी) एवं उपनियम (6) में संशोधन तथा नियम 55 के उपनियम (1) में संशोधन किया गया है एवं उपनियम (2) को हटाया गया है।

(प) अधिनियम में फार्म 38 (आयात घोषणा-पत्र) वेब साईट से भी डाउनलोड किये जाने के प्राविधान के अनुरुप इस सम्बन्ध में नियम 56 के उपनियम (2,) (7), (8), (9) एवं (15) में संशोधन किया गया है। कार्यालय से आयात घोषणा-पत्र प्राप्त करने की स्थिति में आयात घोषणा-पत्र (फार्म 38) की शुल्क प्रति फार्म रु0 5.00 से बढ़ाकर रु0 50.00 अथवा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी धनराशि किया गया है ।

(फ) नियम 58 में संशोधन करते हुए यह प्राविधान किया गया है कि प्रान्त बाहर से प्रान्त में होते हुए प्रान्त बाहर जाने वाले माल के साथ कमिश्नर द्वारा निर्धारित अभिलेख लेकर चलना होगा, जिसके अभाव में यह माना जायेगा कि माल प्रदेश में विक्रय के लिए हैं कमिश्नर ऐसे अभिलेख को निर्धारित करने तथा ऐसे माल के परिवहन सम्बन्धी प्रकिया के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकते है।

(ब) अधिनियम में प्राविधान है कि व्यापारी द्वारा सेटेलमेंट कमीश्नर को प्रस्तुत किये जाने वाले पिटीशन में अपवंचित टर्नओवर की घोषणा की जायेगी तथा इस घोषित टर्नओवर पर देय कर इससे पूर्व जमा किया जायेगा। तद्नुसार व्यवस्था हेतु नियम 68 एवं नियम 69 में संशोधन किया गया है।

(भ) वैट अधिनियम प्रारम्भ होने से पूर्व अधिनियम के अन्तर्गत पूंजी विनिधान पर आधारित खरीद के टर्नओवर पर भी कर से छूट का लाभ प्राप्त कर रही इकाईयों को खरीद पर अर्न्ड इनपुट टैक्स केडिट की वापिसी की सुविधा अधिनियम में संशोधन द्वारा अनुमन्य की गई है। तद्नुसार व्यवस्था हेतु नियम 70 में संशोधन किया गया है। इसी क्रम में सम्बन्धित फार्म 45, फार्म 46, फार्म 47 एवं फार्म 48 के प्रारुप को भी संशोधित किया गया है। न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के आदेश के क्रम में हकदारी प्रमाण–पत्र के संशोधन की भी व्यवस्था की गयी है। हकदारी प्रमाण–पत्र के लिए प्रार्थना–पत्र देने हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन की अवधि रखी गई थी। इस सीमा को हटाया गया है। जो इकाईयां नियत समय में प्रार्थना–पत्र नहीं दे सकी थीं वे प्रार्थना–पत्र दे सकेंगी।

(म) नियम 75–क जोड़ते हुए यह व्यवस्था की गयी है कि कर निर्धारक अधिकारी द्वारा किसी आदेश की प्रथम प्रति बिना किसी शुल्क के व्यापारी को दी जायेगी। किसी आदेश की उक्त से अतिरिक्त प्रति बीस रूपये का कापीइंग फोलियो दाखिल करने पर दी जायेगी। आदेश चार पृष्ठ से अधिक का होने पर शुल्क पॉच रूपये प्रति पृष्ठ होगी। शुल्क की धनराशि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित की जा सकती है।

(य) कैजुअल डीलर्स द्वारा पंजीयन हेतु प्रार्थना–पत्र देने का प्रारूप फार्म VII-A तथा उन्हें जारी होने वाले पंजीयन प्रमाण पत्र का प्रारूप फार्म– XI-A निर्धारित किया गया है।

(र) स्पेसिफाइड अथार्टी द्वारा आडिट रिपोर्ट के वर्तमान फार्म XXIII के स्थान पर राज्य कर परिषद की संस्तुति के अनुरूप एक संक्षिप्त नया फार्म XXIII का प्रारूप प्रतिस्थापित किया गया है। इसके साथ वार्षिक रिटर्न के अलावा आयकर की आडिट रिपोर्ट, ट्रेडिंग एकाउन्ट, प्राफिट लास एकाउन्ट तथा बैलेन्स शीट संलग्न की जायेगी।

अतः उक्त स्थिति से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 यथा संशोधित उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2010 के अनुरुप आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाना है।

13/7/10

(चन्द्र भानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।